



समक्ष माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

R-3857-II-16



केश आजीव कर्तार
11-11-16

11-11-16

1. ललन सिंह आत्मज कमलू राठौर
2. हीरालाल राठौर आत्मज कमलू राठौर दोनो निवासी ग्राम चोरभठी थाना व तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0) निगरानी कर्ता गण/आवेदक गण

बनाम्

1. श्यामलाल नापित आत्मज रत्नू नापित (फौत)
(क) संतोष कुमार नापित पिता श्यामलाल नापित निवासी ग्राम चोरभठी थाना व तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
(ख) गुलाब बाई पिता श्यामलाल नापित पति रामकुमार नापित नि0 ग्राम चोरभठी हाल निवासी ग्राम जैतहरी वस्ती जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
(ग) गीता बाई नापित पिता श्यामलाल नापित पति गणेश सिंह नापित निवासी ग्रा0 चोरभठी हाल नि0ग्रा0 सिवनी थाना व तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
(घ) सत्यभामा बाई पति श्यामलाल नापित पति मंगल सिंह नापित निवासी ग्राम चोरभठी हाल निवासी ग्राम शाहपुर (शहडोल) जिला-शहडोल (म0प्र0)
2. विजय कुमार नापित पिता रामदास नापित निवासी ग्राम चोरभठी थाना व तहसील जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0)
3. संतोष कुमार नापित पिता रामदास नापित (फौत)
(क) मु0 पार्वती पति स्व0 संतोष कुमार नापित
(ख) आनंदराम नापित पिता संतोष कुमार नापित
(ग) रेखा बाई नापित पिता संतोष कुमार नापित
(घ) पुष्पा बाई पिता संतोष कुमार नापित सभी निवासी ग्राम चोरभठी थाना व तहसील जिला-अनूपपुर (म0प्र0)..... गैर निगरानी कर्ता/अनावेदक गण

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान् तह0 महो0 तह0 जैतहरी जिला-अनूपपुर (म0प्र0) बावत् राजस्व प्रकरण क्र0 1010/अ74/15-16

आदेश दिनांक 27.09.2016

ललन सिंह वगै0 बनाम् संतोष कुमार एवं अन्य निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भ0रा0 संहिता

//2//

M. B.

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3857-दो/2016

जिला अनूपपुर

ललन सिंह आदि

विरुद्ध

श्यामलाल मृत वारिस आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25-2-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार जैतहारी जिला अनूपपुर के प्रकरण क्रमांक 1010/अ-74/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 12-4-2019 को कलेक्टर अनूपपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य</p> <p>3/5/2019</p>